कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2586/1जी-FP/UK/ROAD/8970/2014 देहरादूनः दिनांकः / / मार्च, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन ५५. उत्तराखण्ड शासन

विषय:— जनपद अल्मोड़ा में बारीकोट — खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग — 0.991 है0 सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/8970/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

> (एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्या :

/ 1जी-FP/UK/ROAD/8970/2014 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः

- 1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
- 2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल
- 3. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
- 4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा
- 5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग
- 6. अधिशासी अभियंता, लो०नि०वि० / पी०एम०जी०एस०वाई, द्वाराहाट, अल्मोड़ा

(एस.टी.एस.लेप्चा) अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)
परियोजना का नामः

जनपद अल्मोड़ा में बारीकोट — खुरडी (कोटियाग) मोटर मार्ग — 0.991 है0 सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/8970/2014)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु अल्मोड़ा वन प्रभाग में 0.991 है0 सिविल वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा अन्य वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त की संस्तुति के क्रम में तथा प्रति है0 50 से कम वृक्ष प्रभावित होने के मद्देनज़र जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्वांतिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से) अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी सरकारी मोहस्त संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण िदेशालय,उत्तराखण्ड

तिथि : ् । ५/03/2015

स्थानः देहरादून